13.5.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के वहक हुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के उपलब्ध विवरण व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि नामांतरण नस्ती 184 दिनांक 31.8-1998 ग्राम पंचायत लादणूं तहसील मालपुरा के विरुद्ध दायर हुआ है अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है और नामांतरण नस्ती 184 दिनांक 31.8.1998 ग्राम पंचायत लादणूं तहसील मालपुरा निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार मालपुरा को निर्देश दिये जाते हैं कि मृतक के वारिसों की विधिवत जांच करके पुनः नामांतरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करें। अपील [illegible] उपरान्त की।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:26:29 IST
Reason: SelfAttested